राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(3)दिशा–निर्देश/विधि/पंरा/2024/ जयपुर, दिनांक :

मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद्, समस्त राजस्थान।

विषय :–ग्राम पंचायतों की कालावधि के दौरान पट्टे जारी करने के संबंध में।
प्रसंग :–विभागीय अधिसूचना दिनांक 16.01.2025 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अधिसूचना के क्रम में लेख है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–95 के तहत ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, उन ग्राम पंचायतों में निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया गया है तथा वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं वार्ड पंच रहे है, उनको प्रशासकीय समिति का सदस्य बनाया गया है। प्रशासक द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में वर्णित समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन प्रशासकीय समिति की बैठक में परामर्श उपरान्त किया जायेगा।

अतः उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि पट्टा आवंटन संबंधित कार्यवाही में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत जहां वार्ड पंच की कमेटी गठित किया जाना आवश्यक है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में प्रशासक द्वारा प्रशासकीय समिति के सदस्यों की कमेटी गठित की जाकर, पट्टा आवंटन संबंधित कार्यवाही की जावें।

(डॉ0 जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. एसीपी, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.10.07 16:12:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17934365